फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पिरता बनाम गुलबाई वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकास्मा एवं स्थायी निषे0

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

मु0नं0–101A/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.08.2024 की पालना में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक भू0अ0/2024/2616 दिनांक 28.08.2024 द्वारा पेश किए जा चुके है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस कुर्रेजात प्रस्ताव सुनी गई। वादीया अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर किया एवं मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात कुर्रेजात प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया, जिससे कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.08.2024 की पालना में पत्रांक भू0अ0/2024/2616 दिनांक 28.08.2024 द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सिकराय मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	